

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु
विज्ञापन(सं०-02 / 2021-22)

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक- 4729, दिनांक 04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440, दिनांक -17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य(संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848, दिनांक-21.03.20217 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित सृजित पद यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति (पूर्णतया संविदा के आधार पर) की जानी है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है :-

पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल पद
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	3	2	2	-	2	9
कम्प्यूटर सहायक	2	1	-	-	-	3


उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (<https://applyrdd.jharkhand.gov.in>) के माध्यम से दिनांक 11.10.2021 से 23.10.2021 तक समर्पित कर सकते हैं।

नोट :- निर्गत विज्ञापन संख्या 02/2021-22 की विशेष जानकारी/ नियुक्ति हेतु शर्तें/शैक्षणिक योग्यता के लिए बोकारो जिले के वेबसाइट www.bokaro.nic.in पर देखा जा सकता है।

5K

उप विकास आयुक्त,
-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
बोकारो

- ज्ञापांक830...../मनरेगा, बोकारो/ दिनांक08/10/2021.....
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में उक्त सूचना को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (DIO), बोकारो को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना/विज्ञापन एवं विहित प्रपत्र को जिले के वेबसाइट www.bokaro.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त, बोकारो को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


उप विकास आयुक्त,
-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
बोकारो

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो


महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अंतर्गत
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति
हेतु
विज्ञापन(सं0-02 / 2021-22)

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक- 4729, दिनांक 04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440, दिनांक -17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य(संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848, दिनांक-21.03.2021 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित सृजित पद यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति (पूर्णतया संविदा के आधार पर) की जानी है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है :-

पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल पद
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	3	2	2	-	2	9
कम्प्यूटर सहायक	2	1	-	-	-	3

उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (<https://applyrdd.jharkhand.gov.in>) के माध्यम से दिनांक 11.10.2021 से 23.10.2021 तक समर्पित कर सकते हैं।

नोट :- निर्गत विज्ञापन संख्या 02/2021-22 की विशेष जानकारी/ नियुक्ति हेतु शर्त/शैक्षणिक योग्यता के लिए बोकारो जिले के वेबसाईट www.bokaro.nic.in पर देखा जा सकता है।


उप विकास आयुक्त,
सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
बोकारो

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अंतर्गत
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर
नियुक्ति हेतु

विज्ञापन (सं.-02 / 2021-22)

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक- 4729, दिनांक 04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक-6440, दिनांक -17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त कर्तव्य(संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक-848, दिनांक-21.03.20217 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित सृजित पद यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति (पूर्णतया संविदा के आधार पर) की जानी है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है :-

पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल पद
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	3	2	2	-	2	9
कम्प्यूटर सहायक	2	1	-	-	-	3

- ❖ उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट-बढ़ सकती है।
- ❖ नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा जिला हेतु निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

2. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अर्हताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

योग्यता :-

पद	शैक्षणिक योग्यता
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	<p>1. अनिवार्य योग्यता - सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकते हैं। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घंटा दिया जाएगा। ऐसे घंटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता -</p> <p>(a)सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यतायें मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घंटा कर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा</p>



	<p>दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनु रूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा।</p> <p>(b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० या बी०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस या बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जाएगा।</p>
कम्प्यूटर सहायक	<p>1. अनिवार्य योग्यता—</p> <p>a- सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे —</p> <p>i- बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स</p> <p>ii- बी०एस०सी० कम्प्यूटर सामान्य</p> <p>iii- बी०सी०ए०</p> <p>iv- सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० उत्तीर्ण</p> <p>b- बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी०एस०सी० कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बी०एस०सी० कम्प्यूटर आनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा।</p> <p>2. अतिरिक्त योग्यता —</p> <p>(a) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०सी०ए०/पी०जी०डी०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।</p> <p>(b) एम०सी०ए०/एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनु रूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए०/सामान्य बी०एस०सी० कम्प्यूटर के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो। अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जाएगा।</p>

उपर्युक्त वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगी।

1. आयु सीमा :- उपर्युक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी (सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प 7636, रॉची दिनांक 12.10.18)। आयु सीमा दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम :-

क्रम	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनो के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष

4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष
---	--	---------	---------

2. परिलब्धि – प्रधान सचिव, ग्रा0वि0वि0, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या N 1742 दिनांक 03.07.2019 द्वारा निम्न विवरणी के अनुसार मासिक संविदा राशि देय होगी तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित देय होगी।


पदनाम	Monthly Honorarium (In Rs.) for Less than 5 years Experience	Monthly Honorarium (In Rs.) for 5 years or more Experience
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	19500.00	20000.00
कम्प्यूटर सहायक	10000.00	10500.00

5. नियुक्ति हेतु शर्तें :-

- राष्ट्रीयता – आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आरक्षण – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों (OBC I and OBC II) के अम्थर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर बोकारो जिला के तत्समय प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाईन आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- स्थानीयता के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 प्रभावी होगा एवं झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची का पत्रांक 5994 दिनांक 18.08.2009 द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी वैधता दो वर्ष रहेगी।
- सभी शैक्षणिक योग्यतायें राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यथा UGC/AICTE/DEB(Distance Education Bureau) से मान्यता प्राप्त संस्थान का ही मान्य होगा।
- (i) अम्थर्थी के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ यह शपथ-पत्र देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका शपथ-पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।
(ii) अम्थर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा।
- इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा ना ही अभ्यर्थी इस संबंध में दावा कर सकते हैं।
- उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों की दुगुनी संख्या में "प्रारम्भिक मेधा सूची" से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दक्षता परीक्षा ली जाएगी।
- प्रारम्भिक चरण में इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषपद्र पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियुक्ति नियमावली मार्गदर्शिका का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।



11. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक के पदों पर चयन बोकारो जिला के लिए किया जायेगा, यह पद जिला स्तरीय होगा। इन दो पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी भी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त, बोकारो सक्षम होंगे एवं उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
12. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नही हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
13. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति-प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि किसी अंक प्रमाण पत्र में ग्रेड/सी.जी.पी.ए. का उल्लेख हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से उसे अंक/प्रतिशत में आंतरण कराकर प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
14. आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।
15. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार मेधा सूची से अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र का सत्यापन इत्यादि गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
16. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
17. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।
18. अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधी अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
19. उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (<https://applyrdd.jharkhand.gov.in>) के माध्यम से दिनांक 11.10.2021 से 23.10.2021 तक समर्पित कर सकते है।


 उप विकास आयुक्त,
 सह-
 जिला कार्यक्रम समन्वयक,
 बोकारो